19.11.25

आज यह पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पेशी पर ली गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर पत्रावली पर शीघ्र सुनवाई का निवेदन किया गया।
वकील प्रार्थी/वादी उपस्थित। वाद पत्र अभिभावक वादी का एक पक्षीय बहस सुनी गई। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय अनुसार परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
आदेश तिथि इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Navdeep

GCMS 2025/619

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.26 11:46:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमान भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस

प्रकरण सं0:—310/2025 GCMS:- 2025/619 दायरा दिनांकः—14.10.2025

रजत पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी वार्ड नं0 09, वीपीओ रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

...वादी

बनाम

1. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी वार्ड नं0 09, वीपीओ रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. मु0 रमन पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी वार्ड नं0 09, वीपीओ रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

...प्रतिवादीगण

उपस्थितिः—

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, राकेश सारस्वत अभिभाषक (वादी)
2. श्री नवदीप कड़वासरा, अभिभाषक (प्रतिवादी नं0 1 व 2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

निर्णय दिनांकः— 19.11.2025

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया की वादी के पिता प्रतिवादी नं0 1 के नाम से चक 18 एसटीबी खाता नं0 03 प0न0 45/324 (11) कि0न0 7 ता 11/1 = 1.138 है0 अ0क0बा0, प0न0 47/327 (24) कि0न0 11/2 ता 25/2 = 3.160 है0 नहरी मय रास्ता कुल 4.298 है0 नहरी, अ0क0बा0 मय रास्ता खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि व इसके अलावा चक 20 एसटीबी खाता नं0 03 प0न0 53/324 (1) कि0न0 1/1 ता 25/2 = 6.325 है0 नहरी अ0क0बा0 मय रास्ता खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। जो कि पैतृक सम्पदा हैं। प्रतिवादी नं0 1 के एक पुत्र वादी व एक पुत्री प्रतिवादी नं0 2 ही हैं। अन्य कोई वारिस नही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.26 14:46:57 IST
Reason: SelfAttested

........लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

प्रतिवादी नं02 द्वारा अपना हिस्सा मुझ वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ हैं। अतः घरेलू समझौता अनुसार जैरवाद रकबा मुझ वादी को प्राप्त हैं। जिस पर कब्जा वादी का सतत् रूप से चला आ रहा हैं। राजस्व रिकार्ड में जैरवाद रकबा प्रतिवादी नं0 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी के हक–हकूक व खातेदारी काश्तकारी अधिकारो पर विपरीत असर पड़ता हैं। इसलिये वादी प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन करवा उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी हैं। घरेलू राजीनामा अनुसार वादी द्वारा, प्रतिवादी नं0 1 को जैरवाद रकबा अपने नाम से करवाने हेतु कहां तो प्रतिवादी नं0 1 द्वारा इंकार कर दिया। यदि इंकारी वाद कारण हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को चक 18 एसटीबी खाता नं0 03 प0न0 45/324 (11) कि0न0 7 ता 11/1 = 1.138 है0 अ0क0बा0, प0न0 47/327 (24) कि0न0 11/2 ता 25/2 = 3.160 है0 नहरी मय रास्ता कुल 4.298 है0 नहरी, अ0क0बा0 मय रास्ता खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि व चक 20 एसटीबी खाता नं0 03 प0न0 53/324 (17) कि0न0 1/1 ता 25/2 = 6.325 है0 नहरी अ0क0बा0 मय रास्ता खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावें एवं प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन कर राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज किया जावें।

वाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस भेजे गये। प्रतिवादी नं0 1 व 2 दिनांक 16.10.2025 को जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा इकबालदावा पेश करने पर कोई विपरीत साक्ष्य नही आने पर तनकी कायम नही की गई। दिनांक 11.12.2025 को वादी स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य वादी पेश किये जिस पर जिरह शून्य रही। बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये वादपत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

वादी की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद दस्तावेज अवलोकन, मनन एवं चिंतन के आधार पर स्पष्ट हैं कि जैर वाद भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्राप्त नही हुआ हैं एवं वादी द्वारा अपने वाद पत्र को शपथ पत्र के माध्यम से साबित किया हैं। अतः हम वादपत्र वादी न्याय हित में एवं कोई विपरीत साक्ष्य प्राप्त नही होने की दशा में स्वीकार करना उचित समझते है।

....लगातार 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.26 11:46:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को चक 18 एसटीबी खाता नं0 03 प0न0 45/324 (11) कि0न0 7 ता 11/1 = 1.138 है0 अ0क0बा0, प0न0 47/327 (24) कि0न0 11/2 ता 25/2 = 3.160 है0 नहरी मय रास्ता कुल 4.298 है0 नहरी, अ0क0बा0 मय रास्ता खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि व चक 20 एसटीबी खाता नं0 03 प0न0 53/324 (17) कि0न0 1/1 ता 25/2 = 6.325 है0 नहरी अ0क0बा0 मय रास्ता खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किया जावें। डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया गया पत्रावली बाद तरतीब तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलाश दिनांक 19.11.2025 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.26 11:46:57 IST
Reason: SelfAttested

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:परचा डिकी:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

(बइजलास : श्रीमान भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–अनवान–

रजत पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी वार्ड नं0 09, वीपीओ रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। ...वादी

बनाम

1. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी वार्ड नं0 09, वीपीओ रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. मु0 रमन पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी वार्ड नं0 09, वीपीओ रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ...प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं0 310 वर्ष 2025 में यह मुकदमा पेश होने पर पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री अनिल कुमार शर्मा, राकेश सारस्वत व वकील प्रतिवादी नं0 1 व 2 श्री नवदीप कड़वासरा हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिकी जारी की जाती हैं कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को चक 18 एसटीबी खाता नं0 03 प0न0 45/324 (11) कि0न0 7 ता 11/1 = 1.138 है0 अ0क0बा0, प0न0 47/327 (24) कि0न0 11/2 ता 25/2 = 3.160 है0 नहरी मय रास्ता कुल 4.298 है0 नहरी, अ0क0बा0 मय रास्ता खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि व चक 20 एसटीबी खाता नं0 03 प0न0 53/324 (17) कि0न0 1/1 ता 25/2 = 6.325 है0 नहरी अ0क0बा0 मय रास्ता खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 का नाम कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिये जाते हैं।

नोज..... ..... मुबलिग..... .....बाबत..... ..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..... .....फस्दो की पालना ....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनां 19.11.2025 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.11.26 11:46:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ